

न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 52 / 2019 जीसीएमएस संख्या 2019 / 00040

1. नगर पालिका मण्डल फुलेरा, जिला जयपुर जरिये चेरमेन नगर पालिका मण्डल फुलेरा जिला जयपुर

—अपीलान्त

बनाम

1. फजलूद्दीन पुत्र स्व. बाबू खाँ
2. सत्तार खाँ पुत्र स्व बाबू खाँ जाति मुसलमान
3. मु. शरीफन पुत्री स्व बाबू खाँ
4. मु. रहमत पुत्री स्व बाबू खाँ पत्नी इमामुद्दीन समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम ड्योरी पोस्ट खेडी का बास, जोबनेर जिला जयपुर !
5. हनीफ खाँ पुत्र जमाल खाँ जाति मुसलमान लुहार निवासी फुलेरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल निवासी 22/164 ईदगाह कच्ची बस्ती, गली नम्बर 2 रोड नम्बर 5, दिल्ली बाइपास रोड, जयपुर ।
6. बून्दू खाँ पुत्र लादू खाँ जाति मुसलमान लुहार निवासी फुलेरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर ।
7. अलीमुद्दीन खाँ पुत्र लादू खाँ जाति मुसलमान लुहार निवासी फुलेरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर हारल निवासी प्लाट नम्बर 1 / 208, वन विहार हाउसिंग बोर्ड, ईदगाह, दिल्ली बाईपास रोड जयपुर ।
8. मु. सुगरा पुत्री शकुरन पत्नी शमशुद्दीन
9. मु. उलसम पुत्री शकुरन पत्नी शमशुद्दीन
10. रमजान पुत्र शकूरन
11. नवाब पुत्र फकीर मोहम्मद
12. सरफुद्दीन पुत्र फकीर मोहम्मद
13. नजमुद्दीन पुत्र फकीर मोहम्मद
14. मोहम्मद पुत्र फकीर मोहम्मद
15. फिरोज पुत्र फजल हुसैन
16. हारून पुत्र फजल हुसैन समस्त जाकित मुसलमान निवासीयान भारत इण्डस्ट्रीज एल आई सी ऑफिस के सामने ग्राम देहगन अहमदाबाद रोड, तालुका मोरासा देहगन जिला गोंधीनगर, गुजरात प्रान्त।
17. रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा निवासी जगदम्बा कॉलोनी, फुलेरा जिला जयपुर ।
18. तहसीलदार भू अभिलेख, फुलेरा मु० साभरलेक जिला जयपुर ।

—रेस्पोंडेन्टस

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला जयपुर निर्णय दिनांक 28.02.2018 मि० न० 49/2014, जिसके द्वारा नामान्तरण संख्या 2691 दिनांक 18.04.2012 जो तहसीलदार फुलेरा मु. साभरलेक जिला जयपुर द्वारा तस्दीक किया गया था को निरस्त फरमा दिया गया।

उपरिथत-

1. श्री लालचन्द जाटवकील अपीलान्ट
2. श्री विष्णु दत्त शर्मा वकील रेस्पोंडेण्ट नं 8 से 16 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक -22.04.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति० जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 28.02.2018 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा-5 एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष पुराना खाता नंबर 166 के नया खाता नंबर 192 के आराजी खसरा नंबर 263 रकबा 12 बिस्वा खसरा नंबर 264 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 265 रकबा 6 बिस्वा गैर मुमकिन चाह, खसरा नंबर 266 रकबा 0.9 बिस्वा, खसरा नंबर 267 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नंबर 268 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा वाके ग्राम फुलेरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर में स्थित विवादित कृषि भूमि का तहसीलदार द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 2691 दिनांक 18.04.2012 को गलत बताते हुये निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अति० जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा दिनांक 28.02.2018 को नामान्तरकरण संख्या 2691 को निरस्त कर तहसीलदार फुलेरा मु० सांभरलेक जिला जयपुर को जमाल खाँ के सभी वारिसान की जाँच कर व सभी को सुनवाई का अवसर नियमानुसार फौती का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये।
3. अति० जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 28.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट नगर पालिका मण्डल फुलेरा, जिला जयपुर द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलक्टर(चतुर्थ) जयपुरके निर्णय दिनांक 28.02.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेण्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि यह कि भूमि विवादग्रस्त अब कृषि भूमि नहीं रही है भूमि विवादग्रस्त को भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रवीन्द्र कुमार शर्मा तो कि 1979 से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है के द्वारा भूमि विवादग्रस्त को सरेन्डर किया गया तथा भूमि विवादग्रस्त की धारा 90बी के अधीन सम्पत्तिवर्तन के आदेश होने के बाद ही अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 2753 दिनांक 06.12.2012 खोला गया है और अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व भूमि विवादग्रस्त अपीलान्ट के नाम खातेदारी रही है और खातेदार को सुनवाई का मौका दिये बगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट की खातेदारी समाप्त करने का आदेश पारित किया गया है। हनीफ खाँ पुत्र जमाल

खाँ सन 1979 से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया तथा वह काबिज काश्त भी था रेस्पोडेन्ट रवीन्द्र कुमार शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा ने उक्त समय के 33 वर्ष पुराने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार जो कि एक कब्जाधारी भी था से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सप्रतिफल सदभावपूर्वक सन 2012 में खरीद करके कब्जा प्राप्त कर लिया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ही अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर तस्दीक किये गये नामान्तकरण में किसी भी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं थी इसके बावजूद भी अतिरिक्त जिला कलैक्टर चतुर्थ ने फाईन्डींग दिये अपीलाधीन नामान्तकरण को निरस्त फरमा दिया जो कि कतई विधिक प्रावधानों के विपरीत है। भूमि विवादग्रस्त का संपरिवर्तन आदेश के बाद अपीलान्त के पक्ष में नामान्तकरण खोला गया है जो कि एक सरकारी निकाय है और अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि विवादग्रस्त को विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष पट्टे जारी किये जा चुके हैं और अब भूमि विवादग्रस्त पर अपीलान्त के अधिरिक्त अन्य पट्टाधारीयों के भी हक व अधिकार निहीत हो चुके हैं जिन सब तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है जो हर सुरत में नरिस्त किये जाने योग्य है। यह कि नगरपालिका एक सरकारी निकाय है तथा आदेश पारीत किये जाते समय खातेदार भी रहा है ऐसी स्थिति में योग्य अधिनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि राजहित को ध्यान में रखते हुए एवं वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सभी प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई कर प्रकरण का सही निर्धारण किया जाता लेकिन ऐसा नहीं किया। हनीफ खाँ दत्तक पुत्र जमाल खाँ जाति लुहार एक कनर्वटेड मुसलमान है और मूल रूप से मुसलमान नहीं था जिस कारण से उनकी स्वीय विधि के साथ साथ रूढी एवं प्रथाओं के अनुसार दत्तक लिया जा सकता और ऐसा उक्तक वैद्य होता है। इसके अतिरिक्त मुसलमानों के कुछ अन्य शाखाओं में भी दत्तक ग्रहण मान्य होता है योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कनर्वटेड मुसलमान के तथ्य को भी नजर अंदाज किया है रेस्पोडेन्टस ना तो जमाल खाँ के वारीसान है और ना ही विधिक वारीसान है और सम्पूर्ण पत्रावली पर ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि रेस्पोडेन्टस मृतक जमाल खाँ के वारीसान हों। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के एवं बिना किसी दस्तावेजों के तथा बिना किसी आधार के अपीलाधीन ओदश पारीत किया है भूमि विवादग्रस्त सम्परिवर्तन के आदेश द्वारा सम्परिवर्तित हो चुकी है तथा अब कृषि भूमि नहीं रही है और भूमि विवादग्रस्त पर नगरपालिका द्वारा पट्टे जारी किये जा चुके हैं। उपरोक्त पट्टाधारीयों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है और न ही अपीलान्त जो की एक सरकारी निकाय है उसको ही सुना गया और उनके नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना भी नहीं की गई और सुनवाई का अवसर दिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारीत किया गया है जो हर हालत में खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर गौर किये बिना एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलक्टर, (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 28.02.2018 को निरस्त किया जावे।


6. रेस्पोडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज खातेदार के रूप में सुलतान

पुत्र पीरू का हिस्सा 1/2 तथा जमाल पुत्र पीरू का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकार्ड चला आया था यानि की स्वर्गीय पीरू खां के लडके जमाल खां पुत्र पीरू खां का 1/2 हिस्सा उक्त कृषि भूमि की खातेदारी में दर्ज था, जमाल खां पुत्र पीरू का ईतकाल हो गया और जमाल खां के फौत हो जाने पर उनकी सम्पति में उनकी दोनो पुत्रीयां मुसम्मात शकुरन व मु० सईदन दोनो का अपने पिता जमाल की उक्त सम्पति के 1/2 हिस्से में बराबर बराबर हिस्सा (1/4+1/4) हिस्सा था, किन्तु तहसीलदार फुलेरा द्वारा स्वर्गीय जमाल खां के मरने के बाद उसकी दोनो पुत्रियों के वारिसान होते हुये स्वयं फर्जी गोदनामों के आधार पर बालाबाला फोती का नामान्तरकरण संख्या 359 दिनांक 26.04.1979 लादू खा के पुत्र हनीफ रेस्पोजेंट नंबर 5 के नाम दर्ज कर दिया। और यह फौती नामान्तरकरण का इन्द्राज राजस्व अधिकारी ने गैर कानूनी तरीके से किया क्योंकि हनीफ मुस्लिम विधि के अनुसार किसी के गौद नही जा सकता तथा ना ही गौद दिया जा सकता जबकि स्व जमाल खां की दोनो पुत्रीयां व उसके वारिसान स्वर्गीय जमाल की छोड़ी हुई आधी जमीन को काश्त करते व उपयोग उपभोग करती चली आ रही थी। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों व रिकार्ड की जाँच पश्चात् ही नामान्तरकरण संख्या 359 दिनांक 26.04.1979 को विधिविरुद्ध माना है एवं इसी आधार पर खोल गये नामा० संख्या 2691 एवं 2753 को निरस्त कर तहसीलदार फुलेरा मु० सांभरलेक जिला जयपुर को जमाल खां के सभी वारिसान की जाँच कर व सभी को सुनवाई का अवसर नियमानुसार फौती का नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश दिये गये। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में जानकारी दिनांक 25.02.2019 को प्राप्त होने से अपीलांत द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से जाहिर होता है कि पक्षकारान् के मध्य विवाद नामान्तरण संख्या 359 दिनांक 26.04.1979 एवं इसके आधार पर खोले गये विवादित नामान्तरकरण संख्या 2691 दिनांक 18.04.2012 को लेकर है। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि हनीफ खां दत्तक पुत्र जमाल खां राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हो गया एवं रेस्पोजेंट रवीन्द्र कुमार शर्मा पुत्र ओमप्रकाश शर्मा ने उक्त समय के 33 वर्ष पुराने रिकार्ड्ड खातेदार काश्तकार जो कि एक कब्जाधारी भी था से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के सप्रतिफल सदभावपूर्वक खरीद करके कब्जा प्राप्त कर लिया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर ही अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है एवं भूमि विवादग्रस्त का संपरिवर्तन आदेश के बाद अपीलान्त के पक्ष में नामान्तरकरण खोला गया है जो कि एक सरकारी निकाय है और अपीलान्त द्वारा उक्त भूमि विवादग्रस्त को विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में पट्टे जारी किये जा चुके हैं और अब भूमि विवादग्रस्त पर अपीलान्त के अतिरिक्त अन्य पट्टाधारीयों के भी हक व अधिकार निहीत हो चुके हैं जिन सब तथ्यों पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय अति० जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा दिनांक 28.02.2018 को नामान्तरकरण संख्या 2691 दिनांक

18.04.2012 को निरस्त करने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक् नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अत आदेश है कि:- अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति० जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर दिनांक 28.02.2018 निरस्त किया जाता है ।


(डॉ० आरूषी मलिक)

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त
जयपुर